झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

पत्रांक :   रांची/दिनांकः

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय : आर0 के0 भी0 वाई0 (फलैगशीप) योजना का वर्ष 2008–09 में प्रभावी कार्यान्वयन तथा वर्ष 2009–10 में स्थल चयन आदि कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में

महाशय,

उक्त विषय के कम में कहना है कि आर0 के0 भी0 वाई0 (फलैगशीप) योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त की देख – रेख में आत्मा के अधीन वर्ष 2008–09 में प्रारंभ किया जाए। विभिन्न जिलों की प्रगति की समीक्षा के कम में जो तथ्य प्रकाश में आया वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। विभिन्न जिलों की प्रगति पर मुख्य सचिव द्वारा अपने समीक्षा बैठक में असंतोष व्यक्त किया जा चुका है। विभिन्न जिलों की स्थिति संक्षिप्त में यह है :–

1. शुन्य उपलब्धि वाले जिले – देवधर, गोड्डा, पलामू एवं गुमला
2. लगभग शुन्य उपलब्धि वाले जिले – सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़, पू0 सिंहभूम (जमशेदपुर)
3. अन्य 10.00 लाख रू0 से कम उपलब्धि वाले जिले – खूंटी, कोडरमा, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज एवं खूटी है।

उक्त के क्रम में कहना है कि यह योजना कृषि के विकास में अति आवश्यक है तथा राज्य के सिंचाई की संसाधन का अभाव एवं सुखाड़ की ऐसी स्थिति में माईको लिफट इरीगेशन सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं होना, पूर्ण रूप से योजना के प्रति उदासिनता का परिचायक है।

इस योजना के तहत वर्ष 2008–09 में मुख्यतः सिंचाई, प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट, मृदा परीक्षण एवं पावर टीलर वितरण तथा गैर राज्य बागवानी मिशन जिलों में पॉली हाउस का निर्माण की योजनांए स्वीकृत है। इन सभी कार्यो पर विशेष ध्यान देकर

योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ करते हुए इसे पूर्ण किया जाए ताकि रबी 2009 में इसका लाभ अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

वर्ष 2009-10 में योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिनमें मुख्यतः सिंचाई, मृदा स्वास्थय विकास, कृषि यांत्रिकीकरण अन्तर्गत उपकरणों का वितरण, प्रक्षेत्रों का विकास, उद्यान विकास के अन्तर्गत (पूराने नर्सरी का विकास, फलोरीकल्चर, मशाला, सब्जी उत्पादन) फसल विकास के तहत उन्नत किस्म के बीजों का वितरण, राईस फैलो में खेती को बढ़ावा देना आदि प्रमुख कृषि कार्य स्वीकृत है। इसके अलावे पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी योजना गत वर्ष के अनुरूप ही संचालित है।

वर्ष 2009-10 की योजनाओं में अभी भी लाभूकों का चयन, स्थल चयन योजनाओं का सुत्रीकरण आदि कर उसके कार्यान्वयन के लिए तैयार रखा जाए ताकि राशि प्राप्त होते ही योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सके। इस कार्य में संबंधित जिलों के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी से विशेष रूप से विमर्श कर उन्हें दिशा – निर्देश देना सुनिश्चित करें। योजना की स्वीकृति आदि में गतिशीलता लाई जाए।

अतः उक्त के कम में पुनः अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूची लेकर अपने स्तर से समन्व्य समिति की बैठक अथवा आत्मा की बैठक कराकर गतिशीलता लाई जाए। विभागीय कार्यो में लापरवाही बरतने वाले कृषि विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया जाए जो योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे है। रबी 2009 में सभी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए।

विश्वास भाजन,

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 137/ह.गो. रांची/दिनांक : 19/10/09

प्रतिलिपि : निदेशक, कृषि, झारखण्ड रांची/निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, रांची/निदेशक, समेति, रांची/निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, रांची/निदेशक उद्यान, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक उद्यान, रांची/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/09

सरकार के सचिव।